

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

दां0प्र0क0-178 / 15संस्था0दि0 06 / 04 / 15

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन-: विरुद्ध :-

धरमदास पिता मंगल पन्द्राम, उम्र 26 वर्ष,  
जाति कोरकू, पेशा मजदूरी, ग्राम बघवाड़,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त-: निर्णय :-

(आज दिनांक 26 / 07 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 452, 354, 323 एवं 506 भाग-2, के तहत अभियोग है कि दिनांक 04 / 03 / 15 समय 11:00 बजे या उसके लगभग फरियादीया सरिता का घर ग्राम बघवाड़, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादीया सरिता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, फरियादी सरिता को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी आमला को लिखित आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि फरियादी बघवाड़ रहती है। दिन के करीब 11 बजे की बात है। वह घर पर सो रही थी उसका पति काम पर काजी जामटी गया था, तभी गांव का धरमदास उसके घर में पीछे के दरवाजे से घुसा तथा बुरी नियत से एकदम से उसका सीना दबाने लगा, वह चिल्लाई तो उसके सीने पर घूसा मारा तथा उसकी साड़ी उतारने लगा, फिर वह जैसे तैसे उससे छूटक कर घर के बाहर निकल आयी तो धरमदास ने उसे कहा कि थाने रिपोर्ट करने गयी

तो जान से खत्म कर देगा। फिर वह सीधे पैदल-पैदल उसके पति सनी के पास काजी जामठी आई पुरी घटना पति सनी को एवं खेत मालिक भादुलाल सोनारे को बताई, साथ लेकर रिपोर्ट करने को आयी हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

3- फरियादी का लिखित आवेदन प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप०क्र०-110/15 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० धारा-452, 354, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 07.03.15 को नक्शा मौका प्र०पी० 3 तैयार किया गया। आहत का मेडिकल मुलहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 23.03.15 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया, अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- -: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- “क्या दिनांक 04/03/15 समय 11:00 बजे या उसके लगभग फरियादीया सरिता का घर ग्राम बघवाड़, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादीया सरिता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया?”

2- “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?”

3- “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी सरिता को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

4- “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-  
विचारणीय प्रश्न क० 1,2 का निराकरण

6- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण किया जा रहा है, जिससे कि पुनरावृत्ति न हो।

7— अभियोजन साक्षी सरिताबाई (अ0सा01) यह गवाह फरियादी है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह घर पर टी0वी0 देख रही थी, तभी आरोपी धर्मदास पिछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसा और उसका मुंह दबाने लगा, उसके साथ गलत काम करने का सोचने लगा और उसके सीने में मारने लगा, वह जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर बाहर निकली, फिर वह पिछे के गेट से भाग गया। इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि आरोपी धर्मदास ने बुरी नियत से उसका सीना दबाया और उसकी साड़ी उतारने लगा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उपरोक्त बातें रिपोर्ट तथा बयान में बता दी थी। उक्त घटना का समर्थन अभियोजन साक्षी सनी (अ0सा02) एवं भादूलाल (अ0सा03) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है।

8— अभियोजन साक्षी सरिताबाई (अ0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर पर सोई हुई थी, घर में कोई नहीं था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह टी0वी0 नहीं देख रही थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि जब वह घर पर सोती है वह दरवाजा लगाकर सोती है। साक्षी ने स्वतः कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसने घर में सांकल नहीं लगाया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि यह गवाह घटना के समय उसके घर के अंदर सो रही थी और उसने अपने घर के दरवाजे सांकल नहीं लगाया था।

9— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि घटना के समय पिछे के दरवाजा बंद था सामने का दरवाजा खुला हुआ था उसने खुद दरवाजा बंद किया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पिछे का दरवाजा बंद नहीं किया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि उसने खुद दरवाजा बंद किया था। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि पिछे का दरवाजा बिना सांकल खोले व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता, तो इस गवाह ने उत्तर दिया कि उसने पिछे का सांकल नहीं लगाया था, दरवाजा बंद कर दिया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी के द्वारा उसके मकान का पिछे का दरवाजा लगा दिया गया था, किन्तु सांकल नहीं लगाया गया था।

10— आगे इस गवाह को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में लोप कराया गया है कि उसने पुलिस को यह भी बता दिया था कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम करने का सोचने लगा, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान व रिपोर्ट में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। किन्तु उक्त लोप से संपूर्ण फरियादी के मुख्य परीक्षा के तथ्य अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके पति का मालिक भादू सोनारे रिपोर्ट लिखाने उसके साथ आया था। पुलिस थाने में रिपोर्ट भादू सोनारे ने ही लिखाई थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस वालों को यह बताया था कि आरोपी ने सीने में घूसा मारा है, रिपोर्ट लिखो। आगे इस गवाह से बचाव पक्ष की ओर से प्रश्न

किया है कि आपने पुलिस वालों से घूसा मारने की रिपोर्ट लिखाने का बोला था, तो पुलिस वालों ने बोला था कि इतने में कुछ नहीं होगा छेड़छाड़ की रिपोर्ट करना होगा। आगे इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसने पुलिस के कहने पर रिपोर्ट नहीं लिखाई है, उसके साथ जो घटना हुई है उसकी रिपोर्ट लिखाई है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि आपने सोनारेजी को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि घटना के बारे में सोनारेजी को बताया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब आरोपी उसके घर में घूसा उस समय वह सोई हुई थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि खाट में लेटी हुई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है जब आरोपी घर में आया था उस समय उसे नींद नहीं लगी थी।

12— इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि फरियादी इस गवाह के साथ अभियुक्त के द्वारा बुरी नियत से उसके घर के अंदर छेड़छाड़ की गई और इस कारण इस गवाह ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के संबंध में सोनारेजी को भी इस गवाह ने बताया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्वीकार किया है कि जैसे ही आरोपी और उसकी लामाझुमी होने लगी तो वह धक्का देकर वह सीधे घर के सामने निकली। आरोपी घर के अंदर आया लामाझुमी और वह धक्का देकर घर से निकल गई। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा लाए गए तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी घर के अंदर प्रवेश कर एक स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला कर गृह अतिचार कारित किया।

13— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में स्वीकार किया है कि जब से उसने रिपोर्ट की थी तब से आरोपी सीधा हो गया है। यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुराने विवाद को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि पुराने विवाद की जानकारी उसे नहीं है उसके साथ गलत किया उसने रिपोर्ट किया। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा एक स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला कर गृह अतिचार कारित किया, इस कारण इस गवाह ने रिपोर्ट दर्ज करायी है।

14— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाने के पहले पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त है कि जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गई उस दिन उसे पढ़कर सुनाया गया। अर्थात् फरियादी के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्र० पी० 1 लिखाई गई है। उसे इस गवाह को पढ़कर घटना दिनांक को ही सुनाया गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और बुरी नियत से नहीं पकड़ा। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा आरोपी ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्य से यही स्पष्ट होता कि एक स्त्री की लज्जा भंग कारित की गई इस कारण इस गवाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई।

15— साथ ही सूचक प्रश्न की कंडिका 4 में इस गवाह ने स्वीकार किया है

कि आरोपी धर्मदास ने बुरी नियत से उसका सीना दबाया था और उसकी साड़ी उतारने लगा था। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से खंडन नहीं किया गया है, बल्कि प्र0पी0 1 के आवेदन में बुरी नियत से एक दम से सीना दबाने के तथ्य का उल्लेख है, जो कि एक स्त्री की लज्जा भंग करने के तथ्य को स्पष्ट करता है।

16— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य में तात्त्विक विरोधाभाष एवं लोप है। वे प्रकरण में अभियुक्त की भूमिका के संबंध में पृथक-पृथक रूप से बढ़ा चढ़ाकर कथन कर रहे हैं जिस कारण से इनका साक्ष्य विश्वसनीयता के अयोग्य है। बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत भारत वर्ष में एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं है। शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का मिश्रण न हो और उसके द्वारा घटना का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन न किया गया हो। ग्रामीण परिवेश के साक्षी स्वभाविक तौर पर आरोपीगण को ज्यादा सजा दिलाने के उद्देश्य से घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं परंतु इतने मात्र से उनके संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सत्य-असत्य के मिश्रण में से सत्य भाग को अलग करें और उसके आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथनों में जो थोड़े बहुत विरोधाभाष हैं उस आधार पर उनका संपूर्ण साक्ष्य अमान्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस मत का समर्थन न्यायदृष्टांत अब्दुल गनी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1954 एस.सी. 31 एवं न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008 एम.पी.एच.टी. 234 से भी होता है। अतः बचाव पक्ष को प्रस्तुत तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं।

17— अभियोजन साक्षी सनी (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह ग्राम काजी जामठी में मजदूरी का काम कर रहा था। वहां पर आकर उसकी पत्नी सरिता ने बताया कि धर्मदास ने घर में घुसकर छेड़छाड़ किया, बुरी नियत से सीना दबाया और घूसा मारा। उसकी पत्नी के सीने में दर्द हो रहा था। आरोपी ने उसकी पत्नी की साड़ी उतारने की कोशिश की थी। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहें हैं। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी ने उसे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौच की बात नहीं बताई थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि छेड़छाड़ की बात बताई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसकी पत्नी ने उसे यह बताया था कि आरोपी उसके घर में घुस गया और लामाझुमी किया और वह सीधे भाग गई। आगे इस गवाह से न्यायालय की ओर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-165 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की ओर से प्रश्न किया गया है कि “क्या आपने आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई इस कारण रिपोर्ट लिखाया या पुलिस के द्वारा कहने पर छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई, तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि पुलिस के कहने से छेड़छाड़ की रिपोर्ट नहीं लिखाई। अर्थात् फरियादी के साथ जो घटनाघटित हुई थी उसी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि फरियादी के साथ घटना घटित

होने के तथ्यों को समर्थन होता है।

18— अभियोजन साक्षी भादूलाल (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दोपहर एक देड़ बजे सरिता उसके खेत पर आई और उसके पति सनीलाल को बताया कि वह घर का दरवाजा बंद करके सोई थी धर्मदास आया और घर में घुस गया उसकी छाती में बैठ गया और छाती दबाने लगा, और कहा कि उसके साथ गलत काम करना है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि उसके पति ने उसे घटना बताई थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि सरिता ने उसे बताया था कि उसे घटना के बारे में घटना के दिन ही बताया था। अर्थात् इस गवाह को भी घटना के संबंध में फरियादी ने बताया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि जैसे उसने वकील साहब को बताया था वैसा ही वकील साहब ने लिखाया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि सरिता ने बताया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के आए तथ्यों से घटना घटित होने की पुष्टि होती है।

19— अभियोजन साक्षी डी०एस० पठारिया (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 04/03/15 को प्रार्थी सरिता द्वारा पुलिस थाना आमला में आकर आरोपी धर्मदास के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, मारपीट करने, जान से मारने की लिखित शिकायत प्र०पी० 1 पेश करने पर उसने आरोपी धर्मदास के विरुद्ध अपराध क्रं 110/15 अंतर्गत धारा 452, 354, 323, 506 भा०द०वि० का अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 लेख किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 07/03/15 को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी सरिता की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र०पी० 3 तैयार किया था। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 23/03/15 को गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 4 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी सरिता गवाह भादूलाल, सनीलाल के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रही है।

20— इस गवाह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से लेख किया है कि घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की लिखित शिकायत प्र०पी० 1 के आधार पर प्र०पी० 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है, जो कि स्वयं एक स्त्री के साथ लज्जा भंग करने के आशय को स्पष्ट करती है। साथ ही इस गवाह के द्वारा घटना स्थल का घटना नक्शा मौका प्र.पी. 3 बनाया जाना, जिसे इस गवाह ने साक्ष्य से प्रमाणित भी किया है जिसका समर्थन फरियादी सरिता ने अपनी साक्ष्य से किया है और गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए हैं जिसे साक्षी फरियादी सरिता (अ०सा०१), साक्षी शनी (अ०सा०२), साक्षी भादूलाल (अ०सा०३) ने भी कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि जिससे कि इस गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके,

बल्कि इस गवाह ने घटना घटित होने की पुष्टि करते हैं।

21— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिताबाई, जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1, 2 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण**

22— अभियोजन साक्षी सरिताबाई (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके साथ गलत काम करने का सोचने लगा और उसके सीने में मारने लगा। किन्तु अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ0सा04) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि आहत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे उसने सिर्फ छाती में दर्द की शिकायत की थी। उसकी चिकित्सा रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसका अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। और इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि यह भी संभव है कि कोई भी व्यक्ति झूठा दर्द होने के संबंध में बता सकता है। इस प्रकार डॉ० एन०के० रोहित की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया साधारण उपहति कारित नहीं की गई, यदि वास्तविक रूप से अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की जाती तो फरियादी के शरीर पर चोट के निशान आवश्यक रूप से दिखाई देते।

23— साथ ही अभियोजन साक्षी शनी (अ0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा और गाली गलौच करने की बात नहीं बताई थी। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि छेड़छाड़ करने की बात बताई थी। जबकि यह गवाह स्वयं फरियादी का पति है। और प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित नहीं की गई। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं. 4 का निराकरण**

24— अभियोजन साक्षी सरिता (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि जाते जाते धमकी दिया। किन्तु इस गवाह के द्वारा अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि किस प्रकार की धमकी फरियादी को दी गई जिसका प्रभाव उस पर पड़ा हो, इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त



के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 4 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

25— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त धर्मदास को भा०द०वि० की धारा 452, 354 के अपराध के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

26— उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिता को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। उपर्युक्त अभियोजन साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी सरिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त धर्मदास को भा०द०वि० की धारा 323 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म०प्र०

27— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खातरकर द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त गरीब व निर्धन व्यक्ति है उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया, इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.ड. पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

28— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया। अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 452, 354 के अपराध में दोषसिद्ध किया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इस कारण अभियुक्त को परिवीक्षा अवधि का लाभ प्रदान किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होती है, इस कारण अभियुक्त को सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

क्रं	अभियुक्त	धाराएँ	कारावास	एवं	अर्थदण्ड के व्यति—
------	----------	--------	---------	-----	--------------------



			अर्थदण्ड	कम में कारावास
1.	धर्मदास	452 भा.द.वि.	अभियुक्त को 1(एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2(दो) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।
2.	धर्मदास	354 भा.द.वि.	अभियुक्त को 1 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 (दो) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

29— दी गई सश्रम कारावास की सजा साथ-साथ भुगताई जावे। यदि अभियुक्त रिमांड या विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

30— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी सरिताबाई को 400/— रुपये प्रदान किया जावे।

31— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं है।

32— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0